

प्रकरण आज दिनांक 14/09/2024 को नेशनल लोक अदालत की खंडपीठ कं. 22 में सुनवाई में लिया गया।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. अनुपस्थित।

अभियुक्त सहित श्री राजेश कटारे अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी स्तर पर आहत एवं अभियुक्त ने राजीनामा आवेदन पेश कर राजीनामा के आधार पर प्रकरण समाप्त किये जाने का निवेदन किया तथा राजीनामा अनुमति आवेदन एवं आपसी राजीनामा आवेदन पेश किया गया है।

राजीनामा अनुमति आवेदन विचारार्थ लिया गया।

आवेदन पर सुना गया। प्रकरण अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध भा.दं.वि. की धारा 294, 325 एवं 506 भाग दो के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है।

भा.दं.वि. की धारा 294 का अपराध अनुमति से उस व्यक्ति, जिसे क्षोभ कारित हुआ हो अथवा जिसके विरुद्ध अश्लील शब्द उच्चारित किये गये हैं, के माध्यम से शमनीय है। अतएव भा.दं.वि. की धारा 294 के संबंध में भी शमन संबंधी कार्यवाही की जा सकती है। धारा 325 का आरोप फरियादी/आहत की सहमति से तथा धारा 506 भाग-दो भा0दं0सं0 का आरोप न्यायालय के अनुमति से अभियोगी/आहत द्वारा शमनीय

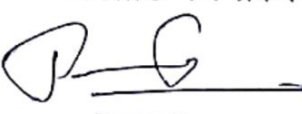
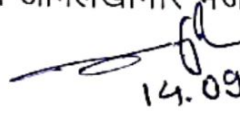
मो. ६८३३६

निखल कुमार

मे. ३०० ५३३ ५३

००५३३ ३३

००५३३ ३३

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer
	है। अभियोगी/आहत के द्वारा स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी भय, दबाव के राजीनामा किये जाना व्यक्त किया था। प्रस्तुत आवेदन पत्र में भी बिना किसी डर दबाव व स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा किए जाने के बिन्दु अग्रेषित किए गए हैं। अभियोगी/आहत पीडित व्यक्ति है और राजीनामा किए जाने के लिए सक्षम हैं। न्यायालय के समक्ष भी यह बताया है कि उभयपक्ष के मध्य स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी भय, दबाव के राजीनामा किया जा चुका है। अतएव उभयपक्ष के बीच शांति सद्भावना बनाए रखने के आशय से अभियोगी/आहत को राजीनामा करने की अनुमति दी जाती है। उभयपक्ष की ओर से एक अन्य आवेदन पत्र राजीनामा स्वीकर कर प्रकरण समाप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है। समग्र स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए लोकहित व लोक अदालत के उद्देश्य को विचार में रखते हुए अभियोगी/आहत को अभियुक्तग से 294, 325 एवं 506 भाग दो भा0दं0सं0 में राजीनामा स्वीकृत कर राजीनामा तस्दीक उपरांत स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त निरवत पिता हल्केभैया धाकड उम्र 20 निवासी ग्राम निवाड़ी, थाना उदयपुरा, जिला रायसेन को दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है। प्रकरण में जप्तशुदा एक सतकठ की लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे। प्रकरण में अभियुक्त अनवेषण, जॉच या विचारण के दौरान जितनी अवधि तक अभिरक्षा में रहा हो तो उसका प्रमाण पत्र बनाया जावे। निष्पादन लिपिक को निर्देशित किया जाता है, कि प्रकरण का परिणाम पंजी में विधिवत् दर्ज एवं सी.आई.एस. में अपलोड कर प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।  सदस्य श्री रामकुमार नायक अधिवक्ता  14.09.24 (राजेश अंशोरिया) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क.22, उदयपुरा जिला रायसेन (म.प्र.)